10 COURT FEE 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

43

CP15L

-1-

न्यायालय अरराजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र0 1959-II /2005

गुरूदयाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाटव
निवासी- ग्राम छिवावली नं0 1 तहसील
लहार जिला भिण्ड (म0 प्र0)
.... आवेदक

विरूद्ध

1. भगवत स्वरूप पुत्र रामशंकर जाटव
2. रामशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाटव
दोनों निवासी ग्राम छिवावली नं0 1
तहसील लहार जिला भिण्ड (म0 प्र0)
... अनावेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा, अभि० द्वारा आज दि० 21.11.05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
21 NOV 2005

Noted
2-12-05

21-11-05

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/2002-03/अपील में पारित आदेश दिनांक 13-10-2005 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 253 रकबा 0.07 हे0 एवं ख. क्र. 256 रकबा 1.22 हे0 स्थित ग्राम छिवावली नं0 के भूमि स्वामी आवेदक एवं अनावेदक क्र0 2 के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल थे। श्री कन्हैयालाल के स्वर्गवास उपरांत आवेदक ने दिनांक 27-8-98 को वारिसाना हक में नामांतरण हेतु आवेदन किया। अनावेदक क्र02 ने दिनांक 14-9-98 को पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर सम्पूर्ण भूमि पर अपने नाम नामांतरण हेतु आवेदन किया। कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 1, अनावेदक क्रमांक 2 के पुत्र ने श्री कन्हैयालाल की

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1959–दो/2005 निगरानी जिला भिण्ड

तिथि	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-8-16	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–10–2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार लहार ने प्रकरण क्रमांक 14/1998–99 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2001 से मृतक कन्हैयालाल की ग्राम छिववाली की भूमि सर्वे क्रमांक 253 रकबा 0.07 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 256 रकबा 1.22 हैक्टर भूमि पर बसीयत प्रमाणित होना पाते हुये भगवतस्वरूप का नामान्तरण किया है। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 61/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 3–10–02 से अपील निरस्त की गई है। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 40/2002–03 अपील में पारित आदेश	

दिनांक 13-10-2005 से अपील निरस्त की गई है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 21-5-2001 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने स्वर्गीय कन्हैयालाल की भूमि पर वारिसाना आधार पर नामान्तरण न करके बसीयतग्रहीता अनावेदक कमांक 1 का नामांत्रण किया है एंव यह भी जॉचने का प्रयाय नही किया कि ग्राम छिववाली की भूमि सर्वे कमांक 253 रकबा 0.07 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 256 रकबा 1.22 हैक्टर स्वर्गीय कन्हैयालाल की पैत्रिक संपत्ति थी अथवा स्वअर्जित संपत्ति थी क्योंकि बसीयत तभी लागू होगी, जब बसीयती संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति हो। मृतक कन्हैयालाल के दो पुत्र गुरूदयाल एंव रामशॅकर जीवित है जो मृतक के बैध वारिस होकर रक्तज पुत्र हैं । हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 13 में व्यवस्था दी गई है कि :-

" हिन्दू संयुक्त परिवार और सहदायिकी - **Coparcenary** - अभिव्यक्ति - हिन्दू अविभक्त परिवार **Hindu undivided family** का उसी अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिये जैसाकि वह हिन्दू विधि में अर्थ लगाया जाता है। हिन्दू सहदायिकी संयुक्त परिवार से लघु निकाय है । हिंदू सहदायिकी में वे ही व्यक्ति सामिल है जिन्हें जन्म से ही संयुक्त सहदायिकी संपत्ति में हक प्राप्त हो जाता है।"

तहसीलदार लहार के प्रकरण कमांक 14/1998-99 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 21-5-2001 से ऐसा ज्ञात नहीं होता है कि उन्होंने विरासत के अधिकार के सम्बन्ध में जॉच कर आदेश पारित किया हो, इसलिये तहसीलदार का आदेश वास्तविक स्थिति से हटकर मात्र बसीयत के प्रमाणित होने तक सीमित है जिसके कारण

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1959-दो/2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्ष

आवेदक को वॅशानुगत मिले अधिकारों से बंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने भी इन तथ्यों पर विचार नहीं किया है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष दूषित है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 40/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-10-2005, अनुविभागीय अधिकारी लहार व्दारा प्रकरण कमांक 61/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 3-10-02 तथा तहसीलदार लहार व्दारा प्रकरण कमांक 14/1998-99 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 21-5-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार लहार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उक्त निर्देश के कम में जॉच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य